अनुलग्नक 1

एम–टफ्स एवं आर–टफ्स की प्रमुख विशेषताएं (पैरा 1.2.5 में संदर्भित)

योजना की विशेषताएं	एम–टफ्स (01 अप्रैल 2007 से 28 जून 2010)	आर–टफ्स (28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013)
ब्याज प्रतिपूर्ति (आई आर)	• कताई के अलावा योग्य खंडों हेतु ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा लिए गये ब्याज पर 5 प्रतिशत का आई आर और कताई खंड हेतु 4 प्रतिशत का आई आर।	• ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा लिए गये ब्याज पर 5 प्रतिशत का आई आर; कताई मशीनरी की नई स्टैंड एलोन/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु 4 प्रतिशत का आई आर बुनाई/निटिंग/प्रोसेंसिंग/गारमेंटिंग में उपयुक्त क्षमता के साथ कताई इकाईयों हेतु 5 प्रतिशत का आई आर।
पूँजी राजसहायता (सीएस)/मार्जिन मनी राजसहायता (एम एम एस)	• 5 प्रतिशत आई आर के बदले में एस एस आई वस्त्र एवं जूट क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत एम एम एस बशर्ते कि ₹ 200 लाख की पूँजी सीमा तथा एम एम एस पर ₹ 15 लाख सीमा हो; लाभार्थियों से न्यूनतम 15 प्रतिशत इक्वीटी योगदान को सुनिश्चित किया जाना था; और हथकरघा उत्पादन इकाईयों के लिए करघे से पहले तथा करघे के बाद के संचालनों हेतु नई मशीनरी तथा उपकरणों की खरीददारी, हथकरघों/हथकरघों के उन्नयन तथा जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों पर 25 प्रतिशत सी एस।	• एस एस आई वस्त्र एवं जूट क्षेत्र को एक विकल्प–5 प्रतिशत आई आर के बदले में 15 प्रतिशत एम एम एस बशर्ते कि ₹ 500 लाख की पूंजी सीमा तथा एम एम एस पर ₹ 45 लाख की सीमा हो; लाभार्थियों से न्यूनतम 15 प्रतिशत इक्वीटी योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा; नवीनतम शट्लरहित करघों हेतु 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस; रेशम क्षेत्र की मानदण्ड मशीनरी पर 5 प्रतिशत आई आर के बदले में 25 प्रतिशत सी एस; और हथकरघा उत्पादन इकाईयों के लिए करघे से पहले तथा करघे के बाद के संचालनों हेतु नई मशीनरी तथा उपकरणों की खरीददारी, हथकरघों/हथकरघों के उन्नयन तथा जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों पर 5 प्रतिशत आई आर के बदले में 25 प्रतिशत सी एस।
मशीनरी का मूल्य निर्धारण	• मशीनरियों के मूलभूत मूल्य पर आई आर/सी एस/एम एम एस तथा गैर–राजसहायता प्राप्त करो के लिए निर्णय को देखते हुए मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हेतु कर घटक को सम्मिलित न करना।	• मशीनरियों के मूलभूत मूल्य पर आई आर/सी एस/एम एम एस तथा मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हेतु कर घटक सम्मिलित न करना।

आई आर हेतु कट–ऑफ तिथि	• योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कट–ऑफ तिथि स्वीकृति की तिथि थी तथा यदि इकाई के ऋण का एक भाग 31 मार्च 2007 से पहले स्वीकृत हो गया था तथा शेष भाग 31 मार्च 2007 के बाद हुआ था तो 31 मार्च 2007 से पहले स्वीकृत हुए भाग को पहले के टफ्स के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना था और केवल वह भाग जो 31 मार्च 2007 के पश्चात् स्वीकृत हुआ था उसे एम–टफ्स के अन्तर्गत शामिल किया जाना था।	• केवल वह ऋण जो कि 28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक (योजना को आगे 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया) ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा स्वीकृत किये गए थे ही योजना के अंतर्गत लाभों के अनुदान हेतु विचार करने योग्य है; तथा आर–टफ्स के अधीन चरण–वार विस्तार अनुमत्त होगा बशर्ते कि क्षमता के चरण–वार विस्तार के अन्तर्गत एकल परियोजना हेतु एकल ऋण प्रस्ताव के अन्तर्गत आर–टफ्स ऋण को प्राप्त किया गया था।
भूमि तथा फैक्टरी भवनों आदि में निवेश	• विद्यमान 50 प्रतिशत की सीमा के साथ वस्त्र क्षेत्र तथा हथकरघा हेतु किये गए निवेश के अलावा भूमि, फैक्टरी निर्माण, पूर्व–संचालन व्यय तथा कार्यकारी पूंजी हेतु मार्जिन मनी जैसे निवेश योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लाभ हेतु अयोग्य है। यदि वस्त्र इकाई अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हैं, तो इस शीर्ष के अंतर्गत योग्य निवेश वस्त्र निर्माण हेतु योग्य संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित था।	• 50 प्रतिशत कैप सहित वस्त्र क्षेत्र एवं हथकरघा हेतु फैक्टरी निर्माण पूर्व–संचालन व्यय तथा कार्यकारी पूंजी हेतु मार्जिन मनी जैसे निवेश योजना के अधीन लाभ प्रतिपूर्ति हेतु योग्य थे। यदि वस्त्र इकाई/हथकरघा इकाई किसी अन्य गतिविधि में सम्मिलित है तो वस्त्र/हथकरघा निर्माण हेतु इस शीर्ष के अंतर्गत वांछनीय निवेश केवल योग्य संयंत्र एवं मशीनरी से ही संबंधित होगा।
अन्य निवेश	• ऊर्जा बचत यंत्र, एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट संयंत्र, कैपटिव ऊर्जा संयंत्र आदि (गैर–पारंपरिक स्रोतों को शामिल करते हुए) जैसे अन्य निवेश मशीनरी की लागत के केवल 25 प्रतिशत तक योजना के लाभों हेतु योग्य थे।	• ऊर्जा बचत यंत्रों, कैपटिव ऊर्जा संयंत्र एवं विद्युत स्थापनाएं आदि जैसे अन्य निवेश तथा समान एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट संयंत्र आर–टफ्स के अंतर्गत योग्य नहीं थे।
सी.एस. को निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि	• विशेष योग्य मशीन के लिए सी एस की पात्रता को निर्धारित करने के लिए ऋण की स्वीकृति की तिथि के बजाय वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ की तिथि कट–ऑफ थी। वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत की तिथि को चार्टिड अभियंता और चार्टिड लेखाकार से प्रमाणित कराना था।	• मशीन लागत की मार्जिन मनी तक की अग्रिम/टोकन अदायगी आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से पहले इकाई द्वारा अदा किया जा सकता है। हालाँकि, आवधिक ऋण की स्वीकृति पर अथवा उसके पश्चात् खरीदी गई मशीनें योग्य है बशर्ते कि अन्य निबंधन एवं शर्तों को पूर्ण किया गया हो।
ऋणस्थगन	• आई आर 10 साल के लिए, जिसमें दो साल कार्यान्वयन एवं ऋणस्थगन अवधि के थे, उपलब्ध थी।	• आई आर 7 साल के लिए थी, जिसमें कि 2 साल कार्यान्वयन/ऋणस्थगन के थे।

राजसहायता कैप	• योजना में कोई कैप नहीं थी।	• 28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक कुल राजसहायता कैप ₹ 1,972 करोड़ की थी, जिसमें से कताई के लिए खण्ड निवेश के शेयर 26 प्रतिशत, विवींग के लिए 13 प्रतिशत, प्रोसेसिंग के लिए 21 प्रतिशत, गारमेंटिग के लिए 8 प्रतिशत और अन्य के लिए 32 प्रतिशत शामिल थी।
सैकण्ड हैंड मशीनें	• स्वचालित शटल रहित करघे जिनका ₹ 8.00 लाख प्रति मशीन मूल्य कैप की और 10 साल पुरानी तथा जिनका अवशेष जीवनकाल कम से कम 10 साल था, के अलावा संपूर्ण श्रेणी की आयातित सैकंड हैंड मशीनें अयोग्य थे।	• केवल 10 वर्ष पुराने आयातित स्वचालित शटल रहित करघे शामिल हैं जिनका अवशेष जीवनकाल कम से कम 10 वर्षों का है। स्वचालित शटल रहित करघों का मूल्य कैप टी ए एम सी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
प्रोसैसिंग	• विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 *प्रतिशत* सी एस।	• विशिष्ट मशीनों के लिए 5 *प्रतिशत* आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।
विद्युत करघे इकाइयाँ	• विद्युत करघे इकाइयों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प–5 प्रतिशत आई आर के बदले 20 प्रतिशत एम एम एस बशर्ते कि पूंजी सीमा ₹ 200 लाख हो और एम एम एस पर सीमा ₹ 20 लाख हो; लाभार्थियों से एक न्यूनतम 15 प्रतिशत इक्विटी योगदान को सुनिश्चित करना था।	• विद्युत करघे इकाइयों तथा प्रीपेरट्री इकाईयों के लिए अतिरिक्त विकल्प जिसमें 5 प्रतिशत आई.आर. के स्थान पर 20 प्रतिशत एम एम एस बशर्ते कि पूँजी सीमा ₹ 500 लाख और एम एम एस की सीमा ₹ 60 लाख; नए शटलरहित करघे जिसमें एम एम एस की सीमा ₹ 1 करोड़ थी; और लाभार्थियों से कम से कम 15 प्रतिशत इक्विटी योगदान को सुनिश्चित करना था।
गारमेंटिंग	• गारमेंटिंग को विशिष्ट बल देने लिए, सी ए डी, सी ए एम व डिज़ाइन स्टूडियों तथा इस प्रकार की मशीनों को वित्तीय कैप के सहित योजना के दिशानिर्देशों के पृथक शीर्ष में सम्मिलित किया गया है जिसे अन्तर्मंत्रालय संचालन समिति (आई एम एस सी) द्वारा निर्धारित किया जाएगा; तथा विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।	• विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।
तकनीकी वस्त्र	• विशिष्ट मशीनों के लिए 5 *प्रतिशत* आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।	• विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।

अनुलग्नक 2

36 नामित नोडल बैंकों का विवरण (पैरा 1.4.3 में संदर्भित)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	क्रम संख्या	बैंक का नाम
1.	इलाहबाद बैंक	19.	आई एन जी वैश्य बैंक
2.	आंध्र बैंक	20.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक
3.	एक्सिस बैंक	21.	कर्नाटक बैंक
4.	बैंक आफ बड़ौदा	22.	करूर वैश्य बैंक
5.	बैंक आफ इंडिया	23.	लक्ष्मी विलास बैंक
6.	बैंक आफ महाराष्ट्र	24.	नैशनल कॉ–ऑपेरटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी)
7.	कैनरा बैंक	25.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
8.	कैथोलिक सीरियन बैंक	26.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
9.	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	27.	पंजाब नैशनल बैंक
10.	सिटी यूनियन बैंक	28.	राजस्थान राज्य इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
11.	कॉरपोरेशन बैंक	29.	साउथ इंडियन बैंक
12.	देना बैंक	30.	भारतीय स्टेट बैंक
13.	एक्जिम बैंक	31.	सिंडीकेट बैंक
14.	फेडरल बैंक	32.	तमिलनाडू मर्कन्टाइल बैंक
15.	आई सी आई सी आई बैंक	33.	यूको बैंक
16.	इंडियन बैंक	34.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
17.	इंडियन ओवरसीज बैंक	35.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
18.	इंडसंइड बैंक	36.	विजया बैंक

अनुलग्नक 3

अयोग्य लाभार्थियों के मामलों का राज्यवार सारांश (पैरा 3.2.1 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	4	257.05
2.	गुजरात	94	1,595.32
3.	मध्य प्रदेश	7	2,039.08
4.	महाराष्ट्र	16	163.21
5.	राजस्थान	5	599.88
6.	तमिलनाडु	3	41.79
	कुल	**129**	**4,696.33**

अनुलग्नक 4

अयोग्य निवेश के मामलों का राज्यवार सारांश (पैरा 3.2.2 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	33	408.11
2.	गुजरात	26	782.84
3.	मध्य प्रदेश	22	550.44
4.	महाराष्ट्र	84	3,386.69
5.	पंजाब	10	34.39
6.	राजस्थान	6	60.36
7.	तमिलनाडु	12	63.80
	कुल	**193**	**5,286.63**

अनुलग्नक 5

अधिक भुगतान के मामलों का राज्यवार सारांश (पैरा 3.2.3 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	8	77.52
2.	गुजरात	13	335.86
3.	मध्य प्रदेश	8	77.75
4.	महाराष्ट्र	1	0.58
5.	पंजाब	1	1.82
6.	राजस्थान	3	41.22
7.	तमिलनाडु	6	107.44
	कुल	**40**	**642.19**

अनुलग्नक 6

लाभार्थियों के खातों में राजसहायता जमा कराने में देरी का राज्यवार सांराश (पैरा 3.2.4 में संदर्भित)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	विलंब दिनों में
1.	आंध्र प्रदेश	6	113–1017
2.	गुजरात	14	11–716
3.	मध्य प्रदेश	36	1–268
4.	महाराष्ट्र	4	657–785
5.	राजस्थान	14	4–1287
6.	तमिलनाडु	98	1–1509
	कुल	**172**	

अनुलग्नक 7

एफ आई द्वारा अवधारित अवितरित राजसहायता धनराशि का विवरण (पैरा 3.2.5 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्रम. संख्या	एफ आई के नाम	शाखा के नाम	प्राप्त राजसहायता की धनराशि	प्राप्ति की तिथि	परिव्यय की वास्तविक तिथि	राजसहायता को बैंकों द्वारा अवरोधन की मास (दिनों) की संख्या	टिप्पणियाँ
1	यूको बैंक	मिड कारपोरेट शाखा, अहमदाबाद	36.62	10.07.2012	31.01.2015	31 (933)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
			39.83	04.10.2013	08.08.2014	10 (306)	
2	भारतीय स्टेट बैंक	एस एम ई सी सी सी ब्रांच, सूरत	15.00	12.04.2012	11.07.2014	27 (818)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
3	पंजाब नेशनल बैंक	मुख्य शाखा, सूरत	178.22	18.03.2014	30.09.2014	7 (194)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
4	भारतीय स्टेट बैंक	एम सी बी, सूरत	1.60	09.03.2013	02.04.2014	13 (387)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
5	भारतीय स्टेट बैंक	लघु उद्योग शाखा, अहमदाबाद	36.69	31.03.2014	13.10.2014	7 (194)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
6	बैंक आफ इंडिया	बाम्बे मार्केट, सूरत	14.71	13.10.2012	02.02.2015	28 (840)	शाखा द्वारा रखी गई लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता को बैंक के टफ्स सेल को 02 फरवरी 2015 को वापस किया गया। राजसहायता धनराशि की (भारत सरकार को)
			2.29	16.10.2012	02.02.2015	28 (837)	
			13.80	02.11.2012	02.02.2015	27 (820)	
			78.86	22.12.2012	02.02.2015	26 (770)	

			3.55	07.03.2013	02.02.2015	23 (695)	वापसी स्थिति ज्ञात नही है।
			29.16	18.05.2013	02.02.2015	21 (623)	
7	दा वराचा को–आपेरेटिव बैंक लिमिटेड	सूरत मुख्य शाखा	13.42	05.10.2010	31.03.2012	18 (545)	बंद खातों की राजसहायता धनराशि को बैंक ने अपने पास रखा और प्राप्त ब्याज न तो लाभार्थियों को दिया गया और न ही सरकार को हस्तान्तरित किया गया।
			13.42	05.10.2010	28.12.2011	15 (451)	
	कुल		**477.17**				

अनुलग्नक 8

सूची-II में शामिल ब्लैक आउट अवधि से संबंधित मामलों का विवरण (पैरा 3.3.3. में संदर्भित)

क्रम संख्या	श्रेणी[1]	वित्तीय संस्थान का नाम	लाभार्थी का नाम	ऋण के अनुमोदन की तिथि
1.	ए	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स (स्टेट बैंक आफ इंडिया से अधिकार में ली गई)	महादेव यार्न प्राइवेट लिमिटेड#	04.08.2010
2.	ए	स्टेट बैंक आफ इंडिया (स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर के लिए एवं आईसीआईसीआई द्वारा अधिकार में ली गई)	रंजन पोलिस्टर लिमिटेड#	29.09.2010 (अवधि ऋण - ₹ 74 लाख)
3.	ए	स्टेट बैंक आफ इंडिया (स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर के लिए एवं आईसीआईसीआई द्वारा अधिकार में ली गई	रंजन पोलिस्टर लिमिटेड#	29.09.2010 (अवधि ऋण - ₹ 180 लाख)
4.	ए	एचडीएफसी (यूनियन बैंक आफ इंडिया से अधिकार में लिया)	भागीरथी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड#	12.10.2010
5.	ए	एचडीएफसी बैंक (पंजाब एंड सिंध बैंक से अधिकार में लिया)	मान फीडस प्राईवेट लिमिटेड#	25.02.2011
6.	सी	आईडीबीआई	पित्रु आर्ट^#	01.08.2010

[1]आई एम एस सी द्वारा परिभाषित श्रेणियाँः
ए– वे मामले जिनमें योग्यता निश्चित हो चुकी थी, दावे समय पर किए गए, ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए राजसहायता पहले ही जारी की गई, पूंजी राजसहायता जारी करना लम्बित था अथवा विपरीततया।
बी–वे मामले जिनमें योग्यता निश्चित हो चुकी थी, दावे समय पर किए गए, टफ्स राजसहायता की किसी किश्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ।
सी–वे मामले जो कार्यालय वस्त्र आयुक्त द्वारा आई एम एस सी की तीसरी बैठक दिनांक 11 नवम्बर 2012 से पहले ही माफ किए जा चुके थे।
डी–वे मामले जो वस्त्र आयुक्त की आंतरिक समिति द्वारा, माफ किये गये लम्बित मामलों में से, मान्य किए गए।
ई–वे मामले जिनमें योग्यता निर्धारित की जा चुकी है परन्तु बैंकों के दावे प्रस्तुत नही किए गए।
एफ–वे मामले जिनमें योग्यता निश्चित की जा चुकी थी परन्तु दावे निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए।
मंत्रालय के जवाब के अनुसार, इन मामलों को पहले ही प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में अयोग्य घोषित किया जा चुका है।
^प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में ये मामले अभी भी योग्य दर्शाए जा रहे है।

7.	सी	आईडीबीआई	किंजल क्रीएशन#	02.11.2010
8.	सी	पंजाब एंड सिंध बैंक	अमर टेक्सटाइल#	19.12.2010
9.	ई	सिटी यूनियन बैंक	सनपैक^	06.07.2010
10.	ई	सिडबी	फैशन निट्स#	14.07.2010
11.	ई	सिडबी	ए.वी. एक्सपोर्ट्स#	06.09.2010
12.	ई	देना बैंक	देव कौटन इंडस्ट्रीज^	30.09.2010
13.	ई	पंजाब नेशनल बैंक	लक्ष्मी कौटसिन लिमिटेड#	13.10.2010
14.	ई	पंजाब नेशनल बैंक	लक्ष्मी कौटसिन लिमिटेड^	15.10.2010
15.	ई	एक्सिस बैंक (सिडबी से अधिकार में लिया)	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड#	02.03.2011 (अवधि ऋण– ₹ 54लाख)
16.	ई	एक्सिस बैंक (सिडबी से अधिकार में लिया)	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड#	02.03.2011 (अवधि ऋण– ₹ 43.70 लाख)
17.	ई	एक्सिस बैंक (सिडबी से अधिकार में लिया)	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड#	02.03.2011 (अवधि ऋण– ₹ 44.19 लाख)
18.	ई	एक्सिस बैंक	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड#	02.03.2011 (अवधि ऋण– ₹ 75 लाख)
19.	एफ	इडंसइंड बैंक	रायल इम्ब्राओडिरी थ्रेडस प्राईवेट लिमिटेड#	10.03.2011

अनुलग्नक 9

सूची-II में सम्मिलित आर–टफ्स की अवधि के दौरान अनुमोदित मामलों का विवरण (पैरा 3.3.3 में संदर्भित)

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय संस्थान	लाभार्थी का नाम	अनुमोदन तिथि
1.	**ई**	कैथोलिक सिरियन बैंक	वरटैक्स निटस (15 प्रतिशत सीएस)#	03.06.2011
2.	**ई**	देना बैंक	काशीनाथ बी पुजारी^	01.05.2011
3.	**ई**	यूको बैंक	कलर्स मैच^	12.09.2011
4.	**एफ**	कैथोलिक सिरियन बैंक	गोमती स्पिनिंग मिलस#	18.05.2011

मंत्रालय के जवाब के अनुसार, इन मामलों को पहले ही प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में अयोग्य घोषित किया जा चुका है।
^प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में ये मामले अभी भी योग्य दर्शाए जा रहे है।